

प्रपत्र-ख (1)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अग्रसर पर प्रस्तावक दावा दिखे जाने वाला

शपथ-पत्र

मैं सुश्री लक्ष्मी कुंजीवरी निवासी राजी इन्डियन चोवरी

उप 40 वर्ष, *नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत नगर निगम

के वार्ड संख्या 43 मोहल्ला गड्डा 1511/1 समूह पुष्पान शङ्कर वना नगर

जिला मुजफ्फरगढ़ बिहार का निवासी है तथा सार्वजनिक घोषणा करता/करती है:-

कि मैं *नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत नगर निगम

के वार्ड संख्या 43 से *पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के नाम निर्देशन पर दायित्व करने

वाले अर्घ्यी देवी कुमारी 24/09/22 का प्रस्तावक है

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों में एवं बिहार नगरपालिका

निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों में पूर्णतः अवगत है;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम,

2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत नगर निगम

के वार्ड 43 से *पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के

लिए अनर्हित नहीं है;

कि मैं ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या न

मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (मुख्य एवं पटनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है- न
2. वाद संख्या- न
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई गई धाराएँ- न

स्थान- मुजफ्फरगढ़

दिनांक- 24/09/22

*जो लागू नहीं हों उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारों/नोटों पर पब्लिक/ओपेन कमिशनर के समक्ष नान्य लो जाएंगे।



सुश्री लक्ष्मी कुंजीवरी
प्रस्तावक का हस्ताक्षर

24/09/22
EN-2484/22